न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0ः–489/2020

ओबरा थाना कांड संख्या ः–147/2020

03.11.2020 आवेदक ट्रक निबंधन संख्या–**JH09M6192** के स्वामी संतोष कुमार की ओर से दिनांक–07.07.2020 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु ई–फायलिंग के तहत एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अ0 प0 को दी गई है ।

उपरोक्त आवेदन के आलोक में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त जप्त ट्रक निबंधन सं0–**JH09M6192** ओबरा थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है । उक्त वाहन का स्वामी उक्त आवेदक है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है । अतः आवेदक ट्रक मालिक संतोष कुमार के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय । वाहन की मुक्ति हेतु न्यायालय का जो भी आदेश होगा, आवेदक उसका पालन करेगा ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त ट्रक निबंधन सं0–**JH09M6192** ओबरा थाना में जप्त है। उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । सम्बन्धित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दर्शित किया गया है कि " उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है ।" उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी जहानाबाद के द्वारा पत्रांक नं0–1173/परि0 दिनांक–05.10.2020 के तहत समर्पित किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का स्वामी संतोष कुमार है । उक्त ट्रक का मोटरयान निरीक्षक कार्यालय से मोटरयान निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त है । उक्त वाहन का जिला परिवहन पदाधिकारी जहानाबाद एवं मोटरयान निरीक्षक औरंगाबाद के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का निबंधन संख्या–**JH09M6192,** इंजन संख्या–**6BTAA5901A62838323,** चेसिस संख्या–MAT466372A2B02895 है । आवेदक की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की की मूल प्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, स्कीन प्रतिवेदन एवं मोटरयान निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त वाहन का दुरूस्ती की वैधता दिनांक–24.06.2021 तक, कर की वैधता दिनांक–16.02.2020 तक यानी कर की वैधता समाप्त हो गई है । परमिट की वैधता दिनांक–18.06.2023 तक एवं बीमा की वैधता दिनांकः–24.04.2021 की मध्य रात्रि तक है । आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार उक्त वाहन के सम्बन्ध में अभी तक नही आया है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदक संतोष कुमार के पक्ष में उक्त जप्त ट्रक निबंधन संख्या–**JH09M6192,** इंजन संख्या– **6BTAA5901A62838323,** चेसिस संख्या–**MAT466372A2B02895** को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में आवेदक संतोष कुमार के पक्ष में उक्त ट्रक निबंधन संख्या–**JH09M6192** को मो0–**14,00,000X1** के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, बीमा की प्रति, उक्त वाहन का चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त वाहन का सम्बन्धित कार्यालय द्वारा रोड परमिट की निर्गत प्रति की छायाप्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त वाहन के मुक्ति के एक माह के अंदर उसका कर जमा कर कर की अद्यतन छायाप्रति दाखिल करेगा । उक्त वाहन को घटना के समय चालक के रूप में कौन कार्यरत था नाम दर्शित करेगा, वाहन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहन के सम्बन्ध में जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी ओबरा को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त वाहन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।